:: विज्ञप्ति ::

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 118/XXIII-1/2021-04(10)/2021 दिनांक 11.02.2022 एवं आयुक्तालय के पत्र संख्याः 15932/सात लाई0-44/आबकारी नीति-2021-22/देहरादून/दिनांक 11 फरवरी 2022 तथा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या:86/पी0एस0-सचिव निर्वाचन/2022 दिनांक 11.02.2022 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या:437/ECI/TERR/LETT/UKD-LA/2022/NS-II दिनांक 10.02.2022 के क्रम में अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के लिए पूर्व निर्धारित राजस्व के अनुसार अवशेष अवधि (व्यवस्थापन की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक) के राजस्व के 40 प्रतिशत् पर दुकान व्यवस्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अव्यवस्थापित दुकानों का व्यवस्थापन उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2021-22 में निर्धारित शर्तों के साथ ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाना है।

अतः उक्त के क्रम में जनपद की अव्यवस्थापित देशी मदिरा दुकान रानीपोखरी के व्यवस्थापन हेतु राजस्व व समय सारणी तथा अन्य औपचारिकतायें निम्नवत् निर्धारित हैं:-

क्र० सं०	देशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवशेष अवधि हेतु निर्धारित राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	एमजीडी	दुकान हेतु वांछित हैसियत	धरोहर धनराशि
1	रानीपोखरी	87662004	3339506	33000	3306506	333951	83488

क्र० सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
1	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांक 17.02.2022 के पूर्वान्ह 11.00 बजे
2	निविदा अभिलेख ई-पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांक 17.02.2022 के अपरान्ह 05.00 बजे से दिनांक 24.02.2022 के अपरान्ह 12.00 बजे तक
3	ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 17.02.2022 के अपरान्ह 05.00 बजे से दिनांक 24.02.2022 के अपरान्ह 12.00 बजे तक
4	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 24.02.2022 को अपरान्ह 01.00 बजे तक
5	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 24.02.2022 के अपरान्ह में 02.00 बजे सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय में
6	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक 24.02.2022 के अपरान्ह 05.00 बजे
7	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 25.02.2022 के पूर्वान्ह 10.00 बजे
8	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक 25.02.2022 के पूर्वान्ह 11.30 बजे से कार्य समाप्ति तक
9	निविदा खोलने का स्थान	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय
10	निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय

उक्त देशी मदिरा दुकान के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता हेतु शर्ते निम्नवत् है:-

1- आवेदन पत्र मय शपथपत्र के साथ धरोहर धनराशि के रूप में दुकान के कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का बैक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

2- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पैनकार्ड, व्यक्तिगत पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड की छायाप्रतियां संलग्न करना होगा।

3- आवेदक को मदिरा दुकान के कुल राजस्व का 10 प्रतिशत के बराबर की धनराशि का हैसियत प्रमाणपत्र जी0-39 प्रारूप पर संलग्न करना होगा।

4- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड राज्य के जनपद का स्थाई/मूल निवास प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

5- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ रूपये 50000/-(पचास हजार रूपये मात्र) प्रकिया शुल्क का बैक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। उक्त प्रकिया शुल्क अप्रतिदेय होगा।

6- दुकान आवंटन होने पर आवंटी को निर्धारित लाईसेंस फीस तत्काल जमा करनी होगी।

क्रमशः 2 -

Settlement

Scanned by CamScanner

7– आबकारी नीति विषयक नियमावली 2021–22 के नियम–4.2 के अनुसार वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति (हैसियम प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष निर्धारित राजस्व का 10% होना अनिवार्य है)–07 दिवस।

8– आबकारी नीति विषयक नियमावली 2021–22 के नियम–4.4 के अनुसार आवेदक को आवंटित मदिरा दुकान का निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क कुल राजस्व का 01 प्रतिशत (नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार) तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा।

9– आवेदक को मदिरा दुकान से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को आबकारी नीति विषयक नियमावली 2021–22 के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट www.uktendres.uk.gov.in पर सम्पादित की जायेगी तथा अव्यवस्थापित मदिरा की दुकान हेतु उक्त वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईनऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Cartificate (DSC) भारत सरकार द्वारा पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाईन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही है। अधिक जानकारी जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक ऋषिकेश के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16/2/22

जिला आबकारी अधिकारी
देहरादून।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून।

संख्याः 6259 /आ0स0/व्यव 0/दे0 मदि 0/2021–22/देहरादूनःदिनांक–फरवरी 16, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. उपायुक्त, आई0टी0अनुभाग, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय वेबसाइट पर उक्त को अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
5. सम्पादक अमर उजाला/हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण,/दैनिक सहारा, (राज्य संस्करण) दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर बीजक कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–3 ऋषिकेश, जनपद देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय।

16/2/22

जिला आबकारी अधिकारी
देहरादून।

Settlement

Scanned by CamScanner